कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थितः— श्री अनिल संत कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :— **सर्वश्री एम0वे0इंडिया इन्टरप्राइजेज प्रा0लि0, राकेश मार्ग, नेहरु मार्ग, गाजियाबाद।**

प्रा0प0सं0— **432 / 2008**

प्रार्थी की ओर से— **श्री अतुल शर्मा, अधिवक्ता ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008की धारा—59 के अर्न्तगतनिर्णय

।— प्रार्थी के द्वारा दिनांक 26—।2—2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा—59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें व्यापारी द्वारा यह बताया गया है कि मै0 आई0बी0एम0लि0, बंगलौर, कर्नाटक से कम्पयूटर सर्वर की खरीद की गयी है तथा खरीद के पश्चात उनके द्वारा मै0 आई0बी0एम0लि0, बंगलौर कर्नाटक से एनुअल मैन्टेनैन्स कान्ट्रैक्ट तीन वर्षो के लिये किया गया है जिसके अन्तर्गत आई0बी0एम0लि0 से डिफेक्टिव पार्टस की मरम्मत, मेन्टेनेन्स / रिप्लेसमेन्ट का कार्य करेगे परन्तु एनुअल मैन्टेनैन्स कान्ट्रैक्ट के अन्तर्गत लगने वाले पुर्जो का अलग से बिल जारी नहीं करेगे । अतः व्यापारी द्वारा यह जानकारी चाही गयी है कि उक्त कान्ट्रैक्ट के लागू करने पर उनके ऊपर टी0डी0एस0 की जिम्मेदारी बनेगी क्या, टी0डी0एस0काटने के लिये बाध्य होगे ? व्यापारी द्वारा पूछा गया प्रश्न निम्नवत् हैः—

liable to deduct TDS [Commercial Tax] m/s IBM Limited ,Noida or not.

2— व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड—। वाणिज्य कर, **गाजियाबाद** जोन, गाजियाबाद द्वारा पत्र संख्या—2517 दिनांक 22—12—2009 से आख्या प्रेषित की गयी है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि एनुअल मैन्टेनैन्स कान्ट्रैक्ट जो आई0बी0एम0लि0 के मध्य किया गया है वह वर्क्स कान्ट्रैक्ट की परिधि में आता है तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत करयोग्य है तथा जहॉ व्यापारी द्वारा लेखापुस्तके नहीं रखी गयी हो या लेखापुस्तके विश्वसनीय न हो । ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश मूल्य संबर्धित अधिनियम के नियम 9(3)के अन्तर्गत टी0डी0एस0 काटने की व्यवस्था दी गयी है।

3— धारा—59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री अतुल शर्मा, अधिवक्ता उपस्थित हुयें व और प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया ।

4— मेरे द्वारा अभिलेखों, प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया गया ।व्यापारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वैट अधिनियम की धारा 59(।) a,b,c,d.e के अन्तर्गत नहीं आता है । अतः व्यापारी द्वारा पूछा गया प्रश्न धारा—59 की परिधि में न आने के कारण धारा—59 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

5— इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को, एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को तथा एक प्रति वैव साइट में डालने हेतु भेजी जाय।

दिनांकः: 10 फरवरी, 2009

ह0 / 10—2—09

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।